झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक – प0नि0वि0/07–योजना–11/2026 – 1368(S) दिनांक – 30/03/2026

स्वीकृत्यादेश

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
झारखण्ड,
हिनू, रांची।

विषयः– **पथ प्रमण्डल, दुमका अन्तर्गत "(i) दुमका–हंसडीहा पथ के चैनेज 41वें कि0मी0 में Dhowae नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण (पहुँच पथ निर्माण, भू–अर्जन, Plantation, Utility Shifting एवं R&R सहित); (ii) दुमका–हंसडीहा पथ के चैनेज 30वें कि0मी0 में Mudko नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण (पहुँच पथ निर्माण, भू–अर्जन, Plantation, Utility Shifting एवं R&R सहित)" हेतु रू0 9,34,99,100/– (नौ करोड़ चौंतीस लाख निनान्बे हजार एक सौ रू0) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेशः– उपर्युक्त कार्य के लिए कुल रू0 9,34,99,100/– (नौ करोड़ चौंतीस लाख निनान्बे हजार एक सौ रू0) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पथ निर्माण विभाग अधीनस्थ (i) दुमका–हंसडीहा पथ के चैनेज 41वें कि0मी0 में Dhowae नदी पर अवस्थित संकीर्ण पुराने पुल के स्थान पर High level RCC Girder Bridge (कैरिजवे–10.5मी0) (पहुँच पथ निर्माण, भू–अर्जन, Plantation, Utility Shifting एवं R&R सहित) में निर्माण किया जाएगा। (ii) दुमका–हंसडीहा पथ के चैनेज 30वें कि0मी0 में Mudko नदी पर अवस्थित संकीर्ण पुराने पुल के स्थान पर High level RCC Girder Bridge (कैरिजवे–10.5मी0) (पहुँच पथ निर्माण, भू–अर्जन, Plantation, Utility Shifting एवं R&R सहित) में निर्माण किया जाएगा। पुलों के निर्माण से इस पथ के नेटवर्क में आवागमन सहज एवं सुविधाजनक हो जायेगा। साथ ही Dhowae नदी एवं Mudko नदी के across निर्बाध रूप से आवागमन हो सकेगा। अतः पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। इस पथ के माध्यम से all weather connectivity को सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से वर्त्तमान उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण किया जाएगा।

3. इस निर्माण कार्य में होने वाला व्यय झारखण्ड सरकार के पथ निर्माण विभाग के व्यय शीर्ष– "मुख्य शीर्ष–5054–सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय/उप मुख्य शीर्ष–03–राज्य राजमार्ग/लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उप शीर्ष–03–पुल, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य" के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका होंगे, तथा इस राशि की निकासी कोषागार, दुमका से की जायेगी।

5. इस कार्य को निम्न वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के अनुरूप पूरा किया जाएगाः–

वित्तीय वर्ष	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य
2025–26	रू0 10.000 लाख	1%
2026–27	रू0 464.000 लाख	50%
2027–28	रू0 460.991 लाख	49%

6. मुख्य अभियंता (या0), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची इस कार्य की प्रगति की समीक्षा प्रतिमाह नियमित रूप से करेंगें।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे यह देखें कि यदि ऐसी कोई योजना या कार्य के विरूद्व राशि व्यय की जा रही है जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है तो इसकी निकासी को रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी तथा विभाग को देगें।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री की अनुमोदन प्राप्त है।

9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

30/03/2026

सरकार के संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

9/4/26

ज्ञापांक– प०नि०वि० / 07–योजना–11 / 2026 – 1368 (S) दिनांक–30/03/2026

प्रतिलिपिः– मुख्य अभियंता (याता०) पथ निर्माण विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, केन्द्रीय निरूपण संगठन, पथ निर्माण विभाग, राँची / अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दुमका / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस स्वीकृति में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु राशि का प्रावधान सम्मिलित नहीं है ।

3. इस स्वीकृति में आकस्मिकता व्यय की राशि सम्मिलित है, जिसके आवंटन हेतु अधियाचना के साथ उचित प्रयोजन दर्शाया जाना आवश्यक होगा।

4. मुख्य अभियंता (या.) पथ निर्माण विभाग, राँची कार्य की अद्यतन प्रगति की समीक्षा कर प्रतिमाह अभियंता प्रमुख को प्रतिवेदन समर्पित करेगें।

(हस्ताक्षर) 30/03/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प०नि०वि० / 07–योजना–11 / 2026 – 1368 (S) दिनांक–30/03/2026

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची / मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची का प्रकोष्ठ / सचिव, योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची / आयुक्त, संथालपरगना प्रमंडल, दुमका / अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, झारखंड, राँची / उपायुक्त, दुमका / संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / उप सचिव (प्र०) पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता (योजना एवं अण्वेषण), मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, मुख्यालय, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / योजना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / सहायक अभियंता (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रशाखा–12, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची एवं सम्बन्धित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को (पाँच प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30/03/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– प०नि०वि० / 07–योजना–11 / 2026 – 1368 (S) दिनांक–30/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), झारखण्ड, राँची / कोषागार पदाधिकारी, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30/03/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– प०नि०वि० / 07–योजना–11 / 2026 – 1368 (S) दिनांक–30/03/2026

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–7, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को सभी सम्बन्धित को ई–मेल (E-mail) से भेजने एवं ई–प्रोक्योरमेंट सेल, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, रांची को वेबसाईट www.jharkhand.gov.in/road पर upload करने हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 30/03/2026

संयुक्त सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
झारखण्ड, रांची।